निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 904) पटना, वृहस्पतिवार, 12 सितम्बर 2024

सं०सं०–14 / विविध–21 / 2024–2115(14) / स्वा०

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

30 अगस्त 2024

विषयः– **बिहार के महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) बीमारी से बचाव हेतु 09–14 वर्श उम्र की बालिकाओं का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human Papilloma Virus) टीकाकरण किये जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना'' की स्वीकृति।**

सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा या बच्चेदानी के मुँह का कैंसर) एक गंभीर बीमारी है। दुनिया में होने वाले हर 5 सर्वाइकल कैंसर के मरीजों में से एक भारत में हैं तथा इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में यह कैंसर मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है। यह कैंसर व्यस्क (40 से 60 उम्र) महिलाओं में कैंसर से होने वाली सभी मौतों का लगभग 17 प्रतिशत है। सर्वाइकल कैंसर भारत में अकेले कैंसर के वैश्विक बोझ का एक चौथाई हिस्सा है। अनुमानतः भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष करीब चार लाख नये सर्वाइकल कैंसर के मरीज इस बीमारी से ग्रसित होते है।

2. कैंसर से होने वाली मृत्यु के मामले में देश के राज्यों में बिहार चौथे स्थान पर है। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 1.20 लाख नये मामले आते हैं, इसमें पाँच से छः प्रतिशत तक मरीजों की मौत हो जा रही है।

3. सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण एक विषाणु (वायरस) यथा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human Papilloma Virus) हैं। सर्वाइकल कैंसर के 90 फीसदी मामले इसी वायरस की वजह से सामने आते हैं। इसके संक्रमण से बार–बार ग्रसित महिला में यह सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है।

4. सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है क्योंकि इससे बचाव हेतु एक वैक्सिन (एच०पी०वी० वैक्सिन) उपलब्ध है। यह वैक्सीन कैंसर से 98 प्रतिशत तक बचाव कर सकती है। ज्यादा उम्र की महिलाओं पर यह वैक्सिन कम असर करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए 09 से 14 साल की सभी बालिकाओं को एच०पी०वी० वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने से कम उम्र की लड़कियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से विकसित हो जाती है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एच०पी०वी०) संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। 09–14 साल तक की बालिकाओं के लिए इस वैक्सीन की 02 खुराक 06 माह के अंतराल पर लेना है।

5. दिनांक 10.07.2024 को विभाग स्तर पर उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु HPV टीकाकरण की अनुशंसा की गयी है।

6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण हेतु राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (NTAGI) गठित की गयी है। इस समिति ने भी 09–14 वर्ष उम्र की कन्याओं के HPV टीकाकरण की अनुशंसा की है एवं इसे लागू करने हेतु सभी राज्यों को परामर्शक भी जारी किया गया है। कई राज्यों यथा पंजाब, सिक्किम, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के द्वारा Pilot Project के रूप में HPV टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है।

7. बिहार के महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर को रोकने हेतु ''मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना'' लागू किया जाना है, जिसके तहत राज्य के अंतर्गत 09–14 वर्ष की बालिकाओं को एच०पी०वी० टीकाकरण से आच्छादित किया जायेगा। 2011 की जनगणना के आकड़े के अनुसार वर्त्तमान में ऐसी बालिकाओं की अनुमानित संख्या लगभग 95 लाख है।

8. इस टीकाकरण कार्य में प्रति वर्ष लगभग कुल राशि रू. 150,00,00,000/– (एक सौ पचास करोड़ रूपये) का व्यय संभावित है, जिसका वहन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अन्तर्गत प्रावधानित राशि से किया जायेगा। प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि में लाभुकों की संख्या के अनुसार वृद्धि की संभावना होगी।

9. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1/एस०के०अ०–04/2017 (पार्ट–II)–799(1)/ स्वा०, दिनांक–15.12.2023 के द्वारा प्राधिकृत परमाणु ऊर्जा, भारत सरकार की इकाई, टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई के द्वारा कैंसर की दवाओं के क्रय हेतु प्राधिकृत किया गया है। तद्नुरूप ही Human Papilloma Virus टीका का क्रय आवश्यकतानुसार किये जाने हेतु टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई को प्राधिकृत किया जाता है।

10. बिहार के महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) बीमारी से बचाव हेतु 09–14 वर्ष उम्र की बालिकाओं का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human Papilloma Virus) टीकाकरण किये जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना'' लागू किया जाता है। इस हेतु राशि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में उपलब्ध निधि से राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जायेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय हेतु अधियाचना टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई को भेजा जायेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा इस मद में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेजा जायेगा।

11. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आदित्य प्रकाश,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 904-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in